2:– रामेश्वरलाल पिता घीसा धाकड़ निवासी किशोरपुरा तह0 बगू
3:– सत्यनारायण पिता घीसा धाकड़ निवासी किशोरपुरा तह0 बेगू
4:– नानीबाई पुत्री देवीलाल धाकड़ हा0मु0 पति सेवाजी धाकड़ निवासी माहुपुरा (सिंगोली)
..... वादीगण

– बनाम –

1:– गोकल पिता जगराम धाकड़ निवासी किशोरपुरा तह0 बेगूं
2:– श्री तहसीलदार सा. भूमिधारी तहसिल बेगू
3:– श्रीमान कलेक्टर सा. प्रतिनिधि राजस्थान सरकार चित्तौड़गढ़
.....प्रतिवादीगण

उपस्थित :: अशोक शर्मा
अधिवक्ता वादी
अनुपस्थित
अधिबक्ता प्रतिवादी

निर्णय दिनांक : 01–09–2023

निर्णय वाद अ0धा0 88 राज0का0अधि0

वादी की ओर से वाद अ0धा0 88 राज0का0अधि0 का अधिवक्ता श्री अशोक शर्मा द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया है कि--

मौजा किशोरपुरा प0ह0 जयनगर में वादीगण की पैतृक आवंटन सुदा संयुक्त स्वामित्व की कृषि आराजीयात दर्ज रिकार्ड स्थित है जिसका खाता सं0 29 आराजी सं0 41 रकबा 0.15 है0 है। परिवार का पारिवारिक पैतृक सजरा

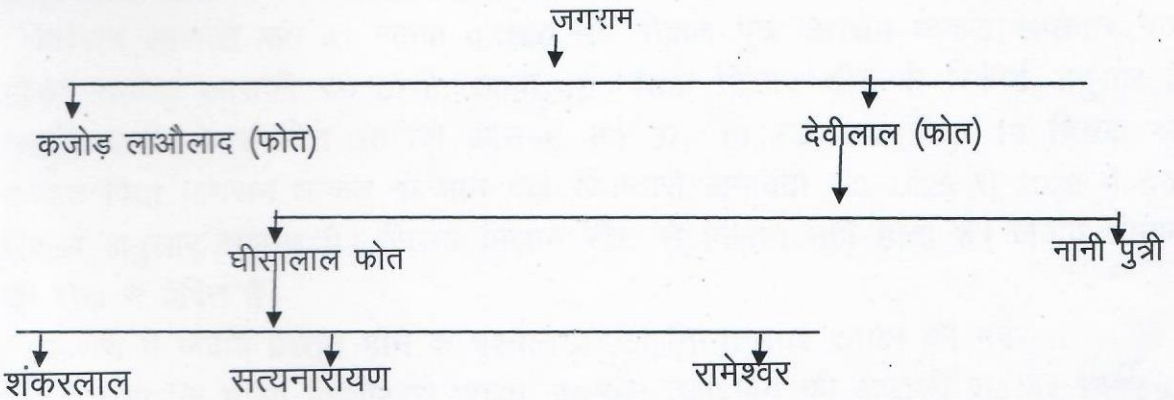

यह कि आराजी सं0 41 वादीगण के दादाजी देवीलाल जी के सगे भाई कजोड़ पिता जगराम की आवंटनसुदा होकर वादीगण के पैतृक रूप से कब्जे काश्त में निरंतर निर्बाध रूप से चली आ रही है। यह भूमि हमारे दादाजी देवीलालजी के सगे भाई कजोड जी पिता जगरामजी को आवंटन हुई थी आवंटन दिनांक से ही हम वादीगण का कब्जा है। कजोड जी लाऔलाद फोत हो चुके है उनके कोई जाइन्दा संतान नहीं है तथा उनकी पैतृक सम्पति पर भी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण प्रथम श्रेणी के वैद्य वारिसान के नाम पर अचल सम्पति का स्थानांतरण हो वादीगण की पैतृक रूप से कजोड पिता जगराम जी धाकड़ की सम्पति का उपयोग उपभोग कर रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 16:18:14 IST
Reason: SelfAttested

यह कि गोकल पिता जगराम धाकड़ किसी व्यक्ति के नाम से गांव किशोरपुरा में वादीगण के परिवार में एवं गांव में इस नाम का व्यक्ति नहीं है लेकिन वादपत्र में वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गोकल पिता जगराम धाकड़ दर्ज होने से प्रतिवादी सं0 1 के रूप में पक्षकार बनाया है। आराजी सं0 41 रकबा 0.1500 है0 भूमि कजोड पिता जगराम धाकड़ के नाम से आवंटन होकर राजस्व रिकार्ड के मिलान खसरा संवत 2022 में दर्ज रिकार्ड

अंकित कर दिया है जो लिपिकीय [illegible] भूमि के राजस्व रिकार्ड [illegible]

यह कि आराजी सं0 41 रकबा 0.1500 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड के प्रमाणित जगराम के बजाय कजोड पिता जगराम धाकड़ के नाम की राजस्व रिकार्ड के प्रमाणित दस्तावेज एवं वादीगण के पैतृक कब्जे के आधार पर वादीगण के नाम पर अंकित किया जाना न्यायोचित है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर निम्न आशय की डिक्री वादीगण के पक्ष में प्रदान की जावे।

(क) कि मौजा किशोरपुरा प0ह0 जयनगर तह0 बेगूं की आराजी सं0 41 रकबा 0.1500 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में अंकित गोकल पिता जगराम धाकड़ के बजाय कजोड पिता जगराम धाकड़ के हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वादीगण प्रथम श्रेणी की वैद्य वारिसान होने से वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराये जाने की घोषणात्मक आज्ञप्ति वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान कराई जावे।

वादी का वाद अ0धा0 88 रा0का0अधि0 का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलब किया जाने पर प्रतिवादी सं0 1 का सम्मन पर रिपोर्ट अनुसार गोकल पिता जगराम धाकड़ नाम का कोई व्यक्ति किशोरपुरा में निवास नहीं करता है। कजोड व देवीलाल थे जिनकी भी मृत्यु हो चुकी है। कजोड लाऔलाद फोत हुआ है देवीलाल के वारिसान ही कजोड के वारिस है जिसकी तस्दीक मौतबिरान द्वारा सम्मन पर की गई है।

प्रतिवादी सं0 2 व 3 की ओर से पेरोकार तहसीलदार द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया जो निम्न प्रकार से है–'

वर्तमान आराजी सं0 41 रकबा 0.1500 है0 गोकल पुत्र जगराम धाकड खातेदार दर्ज होकर साबिक आराजी नं0 37मी. रकबा 18 बिसवा मिलान सीट से रिकार्ड अनुसार है जबकि वादी से संबंधित साबिक आराजी सं0 37/10 रकबा 2 बीघा 18 बिसवा श्री कजोड पिता जगराम धाकड़ के नाम दर्ज खातेदारी जमाबंदी सं0 2025 से 2028 में दर्ज रिकार्ड अनुसार संलग्न है। जिसमें मिलान सीट से मिलान नहीं होता है। जवाब श्रीमान की सेवा में प्रेषित है।

प्रकरण में जवाब प्रस्तुत होने के पश्चात तनकी निम्नानुसार कायम की गई–

1. आया कि मौजा किशोरपुरा प0ह0 जयनगर तह0 बेगूं की आराजी सं0 41 रकबा 0.1500 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में अंकित गोकल पिता जगराम धाकड़ के बजाय कजोड पिता जगराम धाकड़ के हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वादीगण प्रथम श्रेणी की वैद्य वारिसान होने से वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराये जाने की घोषणात्मक आज्ञप्ति वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान कराई जावे ?
2. आया कि आराजी सं0 41 रकबा 0.1500 है0 गोकल पुत्र जगराम धाकड खातेदार दर्ज होकर साबिक आराजी नं0 37मी. रकबा 18 बिसवा मिलान सीट से रिकार्ड अनुसार है जबकि वादी से संबंधित साबिक आराजी सं0 37/10 रकबा 2 बीघा 18 बिसवा श्री कजोड पिता जगराम धाकड़ के नाम दर्ज खातेदारी जमाबंदी सं0 2025 से 2028 में दर्ज रिकार्ड अनुसार है। जिसमें मिलान सीट से मिलान नहीं होता है ?

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 16:18:14 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में तनकी कायम की जाने के पश्चात वादीगण की ओर से बद्रीलाल, सत्यनारायण के साक्ष्य हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत कर बयान कलमबद्ध कर दस्तावेज प्रदर्श कराये जो निम्नानुसार है–

वकील वादीगण की एकतरफा बहस सुनी गई वकील वादीगण ने ...
बहस प्रस्तुत की जो निम्नानुसार है–

मौजा किशोरपुरा प0ह0 जयनगर में वादीगण की पैतृक आवंटनसुदा संयुक्त स्वामित्व
कृषि आराजीयात दर्ज रिकार्ड है जिसके खाता सं0 29 आराजी सं0 41 रकबा 0.1500 है0
भूमि है। वादीगण के दादाजी देवीलाल के सगे भाई कजोड पिता जगराम धाकड़ की
आवंटनसुदा होकर पैतृक रूप से कब्जे काश्त में निरंतर निर्बाध रूप से चली आ रही है।
लेकिन वर्तमान में आराजी सं0 41 रकबा 0.1500 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में गोकल
पिता जगराम धाकड दर्ज है जो राजस्व कर्मचारियों की लिपिकिय भूल से हो गया है
जिसे राजस्व रिकार्ड गोकल पिता जगराम धाकड के बजाय कजोड पिता जगराम धाकड़
के नाम की राजस्व रिकार्ड में हम वादीगण के पैतृक कब्जे काश्त प्रमाणित दस्तावेजों के
आधार पर दर्ज रिकार्ड किया जावे। क्योंकि कजोड पिता जगराम धाकड़ के हिन्दु
उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार हम वादीगण प्रथम श्रेणी के वैद्य वारिसान होने से
आराजी सं0 41 रकबा 0.1500 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में हम वादीगण का नाम अमल
दरामद कराये जाने की घोषणा की जावे।

प्रकरण में वकीलवादी की एकतरफा बहस सुनी गई एवं प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों का
गहन अवलोकन किया जाने के पश्चात प्रकरण का निस्तारण निम्न तनकी अनुसार किया
जाता है–

तनकी नं0 1 :–

मौजा किशोरपुरा प0ह0 जयनगर की आराजी सं0 41 रकबा 0.1500 है0 भूमि गोकल
पिता जगराम धाकड के नाम वर्तमान जमाबंदी में दर्ज अंकित है। जो प्रदर्श 1 है। नकल
प्रदर्श 3 मिलान खसरा में कजोड पिता जगराम धाकड़ गेर खातेदार दर्ज है। प्रदर्श 4
नकल जमाबंदी 2025 से 2028 में कजोड पिता जगराम धाकड़ है। प्रदर्श 5 नकल
नामांतरण सं0 138 से खातेदारी हक से दर्ज करने के आदेश हुए है। प्रदर्श 6 नकल भू
प्रबंध विभाग जमाबंदी 2028 में गोकल पिता जगराम धाकड गेर खातेदारी दर्ज अंकित है
जो राजस्व कर्मचारियों की गलती से भूलवश सहवन से किया गया है। जो एक लिपिकिय
भूल है एवं वकीलवादी द्वारा दौराने बहस में नकल नामांतरण सं0 157 दिनांक 14.05.
1993 में कलम सं0 16 में कजोड लाऔलाद फोत हो गया है बेवा गोरी मौजूद है विरासत
की कार्यवाही की गई है। प्रकरण में प्रतिवादी सं0 1 गोकल के सम्मन में तामील कुनीन्दा
व मौतबिरानों की रिपोर्ट के अनुसार गोकल (कजोड) पिता जगराम नाम का कोई व्यक्ति
ग्राम किशोरपुरा में निवास नहीं करता है। मौतबिरानों से पूछताछ करने पर बताया कि
कजोड पिता जगराम धाकड नाम का व्यक्ति था जिसकी भी मृत्यु हो चुकी है। उसके दो
लड़के कजोड व देवीलाल थे जिनकी भी मृत्यु हो चुकी है। कजोड लाऔलाद फो हुआ
है। देवीलाल के वारिसान ही कजोड के वारिसान है। यह गांव के मौतबिरान प्रभूलाल,
कमलेश, पप्पुलाल, सत्यनारायण धाकड़ ने कहा है। वादी गवाह सत्यनारायण एवं स्वतंत्र
गवाह सत्यनारायण एवं स्वतंत्र गवाह बद्रीलाल के ... जगराम के दो लड़के कजोड
व देवीलाल है। कजोड़ लाऔलाद फोत हो गया ... देवीलाल के घीसालाल, नानीबाई
पैदा हुए। घीसालाल की भी मृत्यु हो गई है एवं कजोड के वैद्य वारिसान सत्यनारायण,
शंकरलाल, रामेश्वरलाल, नानीबाई है। गोकल ... धाकड नाम का किशोरपुरा में
कोई व्यक्ति नहीं रहता है। प्रकरण में सजरे एवं दस्तावेजों, नकल नामांतरण सं0 138 व
बयानों एवं सम्मन पर मौतबिरान की रिपोर्ट के अनुसार कजोड पिता जगराम धाकड़
लाऔलाद फोत हुआ था जिसके विधिक वारिसान वादीगण मृतक कजोड के भाई
देवीलाल की पुत्री एवं पोत्र है जिनका वाद वर्णित भूमि में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 16:18:14 IST
Reason: SelfAttested

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादी सं0 2 व 3 पर है। प्रतिवादी के अनुसार वर्तमान आराजी सं0 41 रकबा 0.1500 है0 भूमि गोकल पिता जगराम धाकड खातेदार दर्ज होकर साबिक न0 37मी. रकबा 18 बिसवा मिलान सीट में दर्ज रिकार्ड अनुसार है। जबकि वादीगण से संबंधित साबिक आराजी सं0 37/10 रकबा 2 बीघा 18 बिसवा कजोड पिता जगराम धाकड के नाम दर्ज खातेदारी जमाबंदी 2025 से 2028 में दर्ज रिकार्ड अनुसार मिलान सीट से नहीं मिलती है चूंकि तनकी नं0 1 में यह सिद्ध हो गया है कि आराजी सं0 41 रकबा 0.1500 है0 भूमि कजोड पिता जगराम धाकड के नाम आवंटन भू सेटलमेंट से पूर्व हुई थी जिसका रकबा 18 बिसवा था व प्रदर्श 6 भूप्रबंध विभाग की जमाबंदी संवत 2028 में खाता सं0 41 रकबा 18 बिसवा भूमि है। दस्तावेजों साक्ष्य दावा वादीगण का सिद्ध हुआ है जिसका निर्णय तनकी नं0 1 में दिया जा चुका है। प्रतिवादीगण अपनी तनकी को सिद्ध कराने हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे है। तनकी नं0 2 बहकवादी विरूद्ध प्रतिवादीगण की जाती है।

अनुतोष :–

प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वादपत्र में तनकी नं0 1 व 2 बहकवादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के निर्णित की गई है। प्रकरण में गवाहों के बयान एवं सजरे के अनुसार मौजा किशोरपुरा प0ह0 जयनगर आराजी सं0 41 रकबा 0.1500 है0 भूमि गोकल पिता जगराम धाकड के नाम अंकित है। भूप्रबंध विभाग जमाबंदी संवत 20258 में गोकल पिता जगराम धाकड गेर खातेदार दर्ज अंकित है। जो राजस्व कर्मचारियों के द्वारा भूलवश सहवन से किया गया है जबकि प्रकरण में सजरे एवं रिपोर्ट व बयानों के अनुसार जगराम के दो वारिसान कजोड व देवीलाल पुत्र हुए थे। उक्त आराजीयात कजोड पिता जगराम को आवंटन हुई थी। कजोड पिता जगराम लाऔलाद फोत हुए। वकीलवादी द्वारा दौराने बहस में नकल नामांतरण सं0 157 दिनांक 14.05.1993 से सिद्ध होता है। कजोड पिता जगराम धाकड के भाई देवीलाल पिता जगराम के घीसालाल व नानीबाई संताने हुई थी जिसमें घीसालाल फोत हो चुका है उसके वारिसान सत्यनारायण, शंकरलाल, रामेश्वरलाल व देवीलाल की पुत्री नानीबाई है। जो कजोड पिता जगराम धाकड के विधिक वारिसान मृतक कजोड के भाई देवीलाल की पुत्री नानीबाई व पोत्र सत्यनारायण, शंकरलाल, रामेश्वरलाल है जिनका वाद वर्णित भूमि में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अपना नाम घोषित करा पाने एवं गोकल पिता जगराम नाम का कोई व्यक्ति वादीगण के परिवार एवं ग्राम जयनगर एवं मौतबिरान की रिपोर्ट एवं गवाहों के बयानों से सिद्ध होने से आराजी सं0 41 रकबा 0.1500 है0 भूमि से गोकल पिता जगराम धाकड का नाम हटाये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वादीगण का वाद अ0धा0 88 राज0का0अधि0 का स्वीकार किया जाता है। मौजा किशोरपुरा प0ह0 जयनगर की आराजी सं0 41 रकबा 0.1500 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड से गोकल पिता जगराम धाकड का नाम हटाया जाकर वादीगण का नाम दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है।

आदेश आज दिनांक 01.09.2023 को लिखा जाकर मेरे द्वारा सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 15:18:14 IST
Reason: SelfAttested

(कैलाश चन्द गुर्जर)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

दावा सं0 : 34 / 22

1:– शंकरलाल पिता घीसा धाकड़ निवासी किशोरपुरा तह0 बेगू
2:– रामेश्वरलाल पिता घीसा धाकड़ निवासी किशोरपुरा तह0 बेगू
3:– सत्यनारायण पिता घीसा धाकड़ निवासी किशोरपुरा तह0 बेगू
4:– नानीबाई पुत्री देवीलाल धाकड़ हा0मु0 पति सेवाजी धाकड़ निवासी माहुपुरा (सिंगोली)

..... वादीगण

– बनाम –

1:– गोकल पिता जगराम धाकड़ निवासी किशोरपुरा तह0 बेगूं
2:– श्री तहसीलदार सा. भूमिधारी तहसिल बेगू
3:– श्रीमान कलेक्टर सा. प्रतिनिधि राजस्थान सरकार चित्तौड़गढ़

.....प्रतिवादीगण

निर्णय वाद अ0धा0 88 राज0का0अधि0

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक शर्मा की उपस्थिति में तथा अधिवक्ता प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण अनुपस्थिती में इस वाद अ.धा. 88 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 31.08.2023 को पीठासीन अधिकारी कैलाश चन्द्र गुर्जर सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष निपटारे हेतु उपस्थित होने से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है दावा अंतिम डिक्री किया जाता है:–

अतः वादीगण का वाद अ0धा0 88 राज0का0अधि0 का स्वीकार किया जाता है। मौजा किशोरपुरा प0ह0 जयनगर की आराजी सं0 41 रकबा 0.1500 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड से गोकल पिता जगराम धाकड का नाम हटाया जाकर वादीगण का नाम दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 01.09.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

(कैलाश चन्द गुर्जर)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

दिनांक':– 12.9.23

कमांक / सरिस्ता / 2023 / 365.
प्रतिलिपि तहसीलदार बेगू को अंतिम डिक्री की प्रति वास्ते पालनार्थ दी जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 16:18:14 IST
Reason: SelfAttested

(कैलाश चन्द गुर्जर)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़